विकास आयुक्त का कार्यालय,
सीप्ज़ विशेष आर्थिक क्षेत्र, भारत सरकार,
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग,
अंधेरी (पूर्व), मुंबई - 400096

********

फा.सं.सीप्ज़-सेज़/कस्टम/ई-कॉमर्स/82/2016-17/ दिनांकः 02.12.2016

## सार्वजनिक सूचना संख्या 28/ 2016

**विषयः निर्यात प्रयोजन के लिए सीप्ज़-सेज़ से एयर कार्गो कांप्लेक्स में मालों के अंतरण के संबंध में प्रक्रियाँ ।**

निर्यात प्रयोजन के लिए सीप्ज़-सेज़ से एयर कार्गो कांप्लेक्स में मालों के अंतरण से संबंधित विद्यमान प्रक्रिया का नीचे उल्लेख किया गया हैं जोकि आयुक्त, सीमा शुल्क (एयरपोर्ट), मुंबई द्वारा जारी दिनांक 23.01.2001 की सार्वजनिक सूचना संख्या 02/2001 में निहित प्रावधानों पर आधारित हैः-

आ) **निर्यात के लिए सीप्ज़-सेज़ से एयर कार्गो कांप्लेक्स में सामान्य कार्गो का अंतरणः-**

क) यूनिट सेज़ ऑनलाइन के जरिए लदान बिल फाइल करता है जिसका निर्धारण वरिष्ठ प्राधिकृत अधिकारी (मूल्य निर्धारण) द्वारा किया जाता है ।

ख) यूनिट परीक्षा / निरीक्षण के लिए परीक्षा केंद्र में प्राधिकृत अधिकारी (मूल्य निर्धारण) के पास माल लाता है । भारी कार्गो / पट्टिकावाले कार्गो के मामले में प्राधिकृत अधिकारी (मूल्य निर्धारण) यूनिट के परिसर में जाकर माल का निरीक्षण / परीक्षा करता है ।

ग) प्राधिकृत अधिकारी (मूल्य निर्धारण) लदान बिल के साथ मिलान करके चिह्नों / संख्याओं तथा अन्य विवरणों की जांच करता है तथा सेज़ ऑनलाइन के जरिए एलईओ स्वीकृत करता है ।

घ) निर्यात प्रयोजन के लिए यूनिट / सीएचए / कैरियर द्वारा अंतरण के लिए लदान एयर कार्गो कांप्लेक्स में ले जाया जाता है ।

ङ) एयर कार्गो कांप्लेक्स में निर्यात प्रक्रिया के पूरे किए जाने के पश्चात कैरियर निर्यातक को रि-वेयरहाउसिंग के उद्देश्य से ईजीएम प्रति / ईपी प्रति सौंपता है ।

आ) <u>निर्यात के लिए सीप्ज़-सेज़ से बहुमूल्य कार्गो का एयर कार्गो कांप्लेक्स में अंतरण ।</u>

क) यूनिट सेज़ ऑनलाइन के जरिए लदान बिल फाइल करता है जिसका निर्धारण वरिष्ठ प्राधिकृत अधिकारी (मूल्य निर्धारण) द्वारा किया जाता है ।

ख) यूनिट परीक्षा / निरीक्षण के लिए माल प्राधिकृत अधिकारी (मूल्य निर्धारण) के पास लाता है ।

ग) प्राधिकृत अधिकारी (मूल्य निर्धारण) लदान बिल के साथ मिलान करके चिह्नों / संख्याओं तथा अन्य विवरणों की जांच करता है तथा सेज़ ऑनलाइन के जरिए एलईओ स्वीकृत करता है ।

घ) निर्यात के लिए लदान एमएमटीसी द्वारा एयर कार्गो कांप्लेक्स में अंतरण हेतु लिए जाते है । एमएमटीसी लदानों को एसीसी में कैरियर को सौंप देता है ।

ङ) एयर कार्गो कांप्लेक्स में निर्यात प्रक्रिया के पूरे किए जाने के पश्चात कैरियर निर्यातक को रि-वेयरहाउसिंग के उद्देश्य से ईजीएम प्रति / ईपी प्रति सौंपता है ।

इ) <u>विद्यमान प्रक्रिया जिसका उल्लेख ऊपर किया गया है, के अतिरिक्त निर्यात के प्रयोजन के लिए सीप्ज़-सेज़ से एयर कार्गो कांप्लेक्स में कार्गो के अंतरण हेतु लागू नई प्रक्रिया । इस नई प्रक्रिया के अंतर्गत आनेवाले मालों की कोटि को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है:-</u>

1. इस प्रक्रिया के अंतर्गत निम्नलिखित प्रकार के माल आएंगे:-
   - i) यूएस $800 से कम मूल्य वाले मालों के लिए एक लदान बिल होगा ।
   - ii) ऐसे माल जिनके लिए अग्रिम धन प्रेषण प्राप्त किया गया हो ।
   - iii) ऐसे माल जिनकी ई-वाणिज्य प्लेटफार्मों के जरिए बिक्री की गई हो ।
2. ऐसे लदानों के एयर कार्गो कांप्लेक्स में अंतरण किए जाने की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी ।

(क) यूनिट सेज़ ऑनलाइन के जरिए लदान बिल फाइल करेगा जिसका निर्धारण वरिष्ठ प्राधिकृत अधिकारी (मूल्य निर्धारण) द्वारा किया जाएगा ।

(ख) यूनिट परीक्षा सह संग्रहण केंद्र में परीक्षा / निरीक्षण के लिए प्राधिकृत अधिकारी (मूल्य निर्धारण) के पास माल लाएगा ।

(ग) प्राधिकृत अधिकारी (मूल्य निर्धारण) लदान बिल के साथ मिलान करके चिह्नों / संख्याओं तथा अन्य विवरणों की जांच करेगा तथा सेज़ ऑनलाइन के जरिए एलईओ स्वीकृत करेगा ।

(घ) कैरियर द्वारा प्राधिकृत अधिकारी (मूल्य निर्धारण) की उपस्थिति में पैकेजों का वज़न / की छानबीन की जाएगी तथा इसके पश्चात निर्यात के प्रयोजन के लिए अनुमोदित कैरियरों द्वारा लदान को ले लिया जाएगा ।

(ङ) इस प्रयोजन के लिए विकास आयुक्त कार्यालय द्वारा समय-समय पर कैरियरों का अनुमोदन किया जाएगा ।

(च) अनुमोदित कैरियरों को इस आशय का बंधपत्र सह विधिक वचनबंध विकास आयुक्त कार्यालय को प्रस्तुत करना होगा कि वे कार्गो के खोने, चोरी किए जाने अथवा नुकसान पहुंचाए जाने की दशा में शुल्क देयता के लिए जिम्मेदार होंगे ।

(छ) यूनिट यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्गो पर्याप्त रूप से बीमाकृत किए गए हों ।

(ज) एयर कार्गो कांप्लेक्स में निर्यात प्रक्रिया पूरी किए जाने के पश्चात कैरियर 7 दिनों के अंदर रि-वेयरहाउसिंग प्रयोजन के लिए निर्यातक को ईजीएम प्रति / ईपी प्रति सौंपेगा ।

(झ) ऐसे अस्वीकृत माल जो इस प्रक्रिया के जरिए अंतरित किए गए हों, के अस्वीकृत किए जाने के कारण पुनः आयात किए जाने के दशा में ऐसे पुनः आयातित मालों की परीक्षा - सह - संग्रहण केंद्र में प्राधिकृत अधिकारी (मूल्य निर्धारण) द्वारा पहचान की जाएगी । इस प्रयोजन के लिए शुद्धता परीक्षण हेतु परखने वाली मशीन लगाई जाएगी ।

यह विकास आयुक्त, सीप्ज़-सेज़ के अनुमोदन से जारी किया जाता है ।

**(विजय प्रकाश शुक्ल)**
संयुक्त विकास आयुक्त,
सीप्ज़-सेज़, मुंबई

1. सभी यूनिट - सीप्ज़-सेज़
2. सचिव - एसजीआइएम
3. संबंधित सभी अधिकारी